



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**  
धर्म सच नरजभार मन्त्रालय, भारत सरकार  
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA  
मुख्य कार्यालय/Head Office  
भविष्य निधि भवन, 14, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066  
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066  
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



No. e-399180/

2543

Date: 13.12.2023

13 DEC 2023

To,

**All ACC (HQ)/ACC, Zonal Offices,  
All RPFC-I/RPFC-II/APFC, In-charge of Field Offices**

**Subject: Frequently Asked Questions (FAQs) for Implementation of Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 04.11.2022.**

Sir/Madam,

May refer to the subject cited above. Frequently Asked Questions (FAQs) for Implementation of Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 04.11.2022 have been updated for ready reference of the Zonal and Filed Offices.

It is requested to kindly go through the updated FAQs at Annexure I and refer the same while resolving queries of members/pensioners on implementation of Hon'ble Supreme Court dated 04.11.2022.

(This issues with the approval of competent authority)

Yours Faithfully,

**(Aprajita Jaggi)  
Regional PF Commissioner- I (Pension)**

Copy to:

1. All CBT members for kind information please.
2. PS to CPFC.
3. FA & CAO, CVO, Director, PDNASS and all ZTIs.
4. All ACC (HQ)s and all ACCs in HO.
5. RPFC-I (IS) for uploading on website.
6. Rajbhasha section for providing version in Hindi.

**(Revised) Frequently Asked Questions (FAQs) for the field offices for  
Implementation of Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 04.11.2022**

**Proof of joint option under Para 26 (6) of the EPFS 1952**

**Ques. 1: The circulars no. Pension/2022/54877/15149 dated 29.12.2022 and circular no. Pension/2022/56259/16541 dated 20.02.2023 specify requirement of proof of joint option under Para 26(6) of EPF Scheme, 1952 duly verified by the employer. What documentary evidence can be considered as proof of joint option under Para 26(6)?**

**Ans. 1:**

1. Permission under Para 26(6) uploaded by the applicant at the time submission of Application for Validation of Option / Joint Option or available in Office.
2. If permission under Para 26(6) is not readily available then Field Offices should verify that
  - a) Employer share of PF contribution has been remitted on employee's pay exceeding the prevalent statutory wage ceiling of Rs.5000/6500/15000 per month from the day the pay exceeded the wage ceiling or 16.11.95 whichever is later, till date/ till the date of retirement or superannuation as the case may be; and
  - b) Administrative charges payable by employer have been remitted; and
  - c) Provident Fund account of employee has been updated with interest as per Para 60 of EPFS,1952 on the basis of such contribution received; and
  - d) Any of the following documents have been submitted along with Applications for Validation of Option / Joint Options as proof of joint option and permission under Para 26(6).
    - Wage Details submitted by the employer along with Applications for Validation of Option / Joint Options
    - Any salary slip / letter from employer authenticated by employer
    - Copy of joint request and undertaking from employer
    - Letter from PF office issued prior to 04.11.2022 indicating PF contribution on higher wages

The applicants who qualify 2(a) to (d) above and are already contributing/ have contributed till retirement/superannuation on actual (higher) pay, if they have not submitted their joint requests and undertaking of employer, can submit the same at the time of final claim settlement through their last employer. Joint Request and Undertaking of employer for permission under Para 26(6) ([performa enclosed](#)) can be submitted by pensioners/members any time before the grant of pension on higher wages in accordance with decision of Hon'ble Supreme Court dated 04.11.2022.

**Ques. 2: While filing online Application for Validation of Option / Joint Options, no documentary evidence has been submitted as proof of joint option under Para 26(6) of EPF Scheme, 1952. Whether this Application / Joint Option can be rejected on this ground?**

**Ans. 2:** No. The RPFC will obtain any of the documents as mentioned in Answer 1 from the employer and no Application for Validation of Option / Joint Option can be rejected only on this ground if otherwise eligible. It will be the duty of the RPFC to make sure that any of the proofs as mentioned in Ans 1 above is obtained from the employer.

### **Members of Exempted PF establishments**

**Ques. 3: If a member/past member of a PF exempted establishment has not submitted Joint Request and undertaking from the employer to the Trust for contribution on higher wages under the rules of the Trust, how will such cases be governed?**

**Ans. 3:** The cases shall be governed in the same manner as at Answers 1 and 2 above.

### **Computation of Pension**

**Ques. 4: What will be the applicable formula for member pension calculation?**

**Ans. 4:** The pension calculation will be as per para 12 of EPS 95. The date of commencement of pension will determine the applicable formula for calculation of pensionable service, pensionable salary and pension.

**Ques. 5: How will member pensionable salary be calculated for members of EPS, 95 eligible for pension on higher wages who retired prior to 01.09.2014, where the date of commencement of pension is prior to 01.09.2014?**

**Ans. 5:** Since date of commencement of pension is prior to 01.09.2014, the pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of **12 months** preceding the date of exit from the membership of the pension fund.

**Ques. 6: How will member pensionable salary be calculated for members of EPS, 95 eligible for pension on higher wages, who retired prior to 01.09.2014 but where the date of commencement of pension is on or after 01.09.2014?**

**Ans. 6:** Since date of commencement of pension is on or after 01.09.2014, the member pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during the contributory period of service in the span of **60 months** preceding the date of exit from the membership of the pension fund.

**Ques. 7: How will member pensionable salary be calculated for members of EPS, 1995 who have retired after 01.09.2014?**

**Ans. 7:** The member pensionable salary calculation shall depend on the date of commencement of pension. For example:-

- i. **'A'** retired from establishment **'X'** at the age of 60 years on 01.01.2015. Even though his date of retirement is 01.01.2015, for the purpose of EPS, 1995 he will be treated as superannuated at the age of 58 i.e. prior to 01.09.2014. Accordingly, his pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of **12 months** preceding the date of exit from the membership of the pension fund.
- ii. **'B'** retired from establishment **'X'** at the age of 50 years on 01.01.2012. Even though he retired in 2012, he can opt to take pension at the age of 58 i.e. after 01.09.2014. Accordingly, his pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of **60 months** preceding the date of exit from the membership of the pension fund.

**Ques. 8: A member will be retiring in future (say for example 2030). How will his pension be calculated?**

**Ans. 8:** The pension will be calculated based on the provisions of EPS, 1995 that will exist as on the date of commencement of pension.

### **Payment of Arrears of Pension**

**Ques. 9: Will my pension arrears be paid to me or adjusted against the demand of the contributions on the higher wages?**

**Ans. 9:** Arrears of pension will be paid to the pensioners in accordance with the existing process to comply with income tax provision relating to TDS.

\*\*\*\*

**PERFORMA FOR JOINT REQUEST UNDER PARAGRAPH 26(6) OF THE EPF  
SCHEME 1952**

***(For implementation of Hon'ble Supreme Court judgment, dated the 04th November, 2022, in Civil Appeal No. 8143-8144 of 2022 [SLP (C) Nos. 8658-8659 of 2019] in the matter of the Employees' Provident Fund Organisation and others versus Sunil Kumar B. and others)***

To,

The Regional Provident Fund Commissioner

Regional Office...

I .....am an existing member of the EPF Scheme, 1952 having UAN ..... I have read and understood the provisions of paragraph 26(6) as well as the definition of 'pay' under paragraph 2 of the Scheme. I wish to contribute towards my EPF on actual (higher) pay exceeding the statutory wage ceiling (presently Rs 15,000/ per month) w.e.f. ....and accordingly, submit my option to contribute on my actual (higher) pay

**OR**

I..... having read and understood Para 26(6) and the definitions of 'pay', and 'excluded employee' as mentioned under Para 2 of EPF Scheme, 1952, hereby declare that I am an 'Excluded Employee' as per Para 2(f)(ii) of the Scheme and am not enrolled as a member of the Scheme as my 'pay' from the date of joining my establishment .....having PF Code.....has been above the statutory wage ceiling (presently Rs.15,000/- per month).Now, I wish to become a member of the EPF Scheme, 1952 w.e.f.....and accordingly hereby exercise my option for the same. I undertake to contribute to Employees' Provident Fund on actual (higher) pay.

I... , being the employer as per the provisions of Section 2(e) of the EPF & MP Act 1952, in respect of the above-mentioned employee and am submitting a joint request for the purpose of enrolling the member/existing member who has been paying contribution on actual pay exceeding statutory wage ceiling/existing members whose actual pay exceeds statutory wage ceiling.

Place:

Employer

Name, Designation of the employer

Signature of

Name & Signature of the employee

**(For implementation of Hon'ble Supreme Court judgment, dated the 04th November, 2022, in Civil Appeal No. 8143-8144 of 2022 [SLP (C) Nos. 8658-8659 of 2019] in the matter of the Employees' Provident Fund Organisation and others versus Sunil Kumar B. and others)**

### **UNDERTAKING BY THE EMPLOYER**

I... , being the employer as per the provisions of Section 2(e) of the EPF & MP Act 1952, in respect of the above-mentioned employee, hereby undertake to pay the administrative charges payable at prescribed rates towards EPF contribution made by/ in respect of the said employee, including his/ her contribution on pay exceeding the statutory wage ceiling.

I further undertake to comply with all the statutory provisions under EPF & MP Act, 1952 and Schemes framed there under in respect of such employee with effect from.....

Place:

Date:

Signature of EmployerName,

Designation of the employer

(For Office use)

**OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER**

The above Joint Request is accepted with effect from \_\_\_\_\_ with a direction to make necessary entries in the records of the establishment and the Account of the Employee/Member\*.

DA

AO

APFC

To

The Employer (Establishment) for information to member

(संशोधित) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए फील्ड कार्यालयों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

ईपीएफएस 1952 के पैरा 26 (6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प का प्रमाण

प्रश्न 1: परिपत्र सं.पेंशन/2022/54877/15149 दिनांक 29.12.2022 एवं परिपत्र सं. पेंशन/2022/56259/16541 दिनांक 20.02.2023 ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित संयुक्त विकल्प के प्रमाण की आवश्यकता निर्दिष्ट करते हैं। पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेजी साक्ष्य माने जा सकते हैं?

**उत्तर. 1:**

1. विकल्प / संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करते समय आवेदक द्वारा पैरा 26 (6) के अंतर्गत अपलोड की गई, अथवा कार्यालय में उपलब्ध अनुमति ।
2. यदि पैरा 26(6) के अंतर्गत अनुमति आसानी से उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्रीय कार्यालयों को सत्यापित करना चाहिए कि:
  - क) भ.नि. के नियोक्ता के हिस्से के अंशदान का भुगतान, कर्मचारी के, उस समय की वैधानिक सीमा 5000/6500/15000 रुपये प्रति माह, से ऊपर के वेतन पर, जिस दिन से वेतन, वेतन सीमा से अधिक हो गया था अथवा 16.11.95 से, जो भी बाद में हो, आज की तारीख तक/ सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख किया गया , जैसा भी मामला हो; और
  - ख) नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है; और
  - ग) प्राप्त अंशदान के आधार पर, ईपीएफएस, 1952 के पैरा 60 के अनुसार कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में ब्याज को अद्यतित किया गया है; और
  - घ) पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प और अनुमति के प्रमाण के रूप में विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
    - विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत वेतन विवरण
    - नियोक्ता द्वारा प्रमाणित नियोक्ता से प्राप्त कोई भी वेतन पर्ची/पत्र
    - नियोक्ता से संयुक्त अनुरोध और वचन पत्र की प्रति
    - 04.11.2022 से पहले जारी भविष्य निधि कार्यालय से ऐसा पत्र जो उच्च वेतन पर भविष्य निधि अंशदान दर्शाता है

वे आवेदक जो उपर्युक्त 2(क) से(घ) में अर्हता प्राप्त करते हैं और वास्तविक (उच्च) वेतन पर पहले से ही अंशदान कर रहे हैं/सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता तक अंशदान कर चुके हैं, यदि उन्होंने अपने संयुक्त अनुरोध और नियोक्ता के वचन



पत्र को प्रस्तुत नहीं किया है, तो वे इसे उनके अंतिम नियोक्ता के माध्यम से अंतिम दावा निपटान के समय जमा कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन प्रदान करने से पहले किसी भी समय पेंशनभोक्ताओं/सदस्यों द्वारा पैरा 26(6) (प्रोफार्मा संलग्न) के अंतर्गत अनुमति के लिए संयुक्त अनुरोध और नियोक्ता का वचन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

**प्रश्न 2: विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करते समय, ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प के प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या इस आधार पर इस आवेदन/संयुक्त विकल्प को अस्वीकार किया जा सकता है?**

उत्तर. 2: जी नहीं, क्षे.भ.नि.आ उत्तर 1 में उल्लिखित किसी दस्तावेज़ को नियोक्ता से प्राप्त करेगा और विकल्प / संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए कोई आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, यदि अन्यथा पात्र हो। यह सुनिश्चित करना क्षे.भ.नि.आ का कर्तव्य होगा कि ऊपर दिए गए उत्तर 1 में उल्लिखित कोई भी प्रमाण नियोक्ता से प्राप्त किया गया है।

### **छूट प्राप्त भविष्य निधि स्थापनाओं के सदस्य**

**प्रश्न 3: यदि भविष्य निधि छूट प्राप्त स्थापना के किसी सदस्य/पिछले सदस्य ने ट्रस्ट के नियमों के अंतर्गत उच्च वेतन पर अंशदान के लिए नियोक्ता से ट्रस्ट को संयुक्त अनुरोध और वचन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तो ऐसे मामलों को कैसे निपटाया जाएगा?**

उत्तर. 3: मामलों को उसी तरह से निपटाया जाएगा जैसा ऊपर दिए गए उत्तर 1 और 2 में स्पष्ट किया गया है।

### **पेंशन की गणना**

**प्रश्न 4: सदस्य पेंशन गणना के लिए लागू होने वाला फॉर्मूला क्या होगा?**

उत्तर. 4: पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैरा 12 के अनुसार होगी। पेंशन शुरू होने की तारीख पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन की गणना के लिए लागू सूत्र का निर्धारण करेगी।

**प्रश्न 5: उच्चतर वेतन पर पेंशन के पात्र ईपीएस, 95 के सदस्य जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन जहां पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 01.09.2014 से पहले है, उनके लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी?**

उत्तर. 5: चूंकि पेंशन के प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 से पहले है, पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 12 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

**प्रश्न 6 उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए पात्र ईपीएस, 95 के सदस्य, जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लेकिन जहां पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 01.09.2014 को या उसके बाद है, उनके लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी?**

उत्तर. 6: चूंकि पेंशन के प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 को या उसके बाद है, सदस्य के पेंशन योग्य वेतन की गणना सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

**प्रश्न 7: ईपीएस, 1995 के सदस्य जो 01.09.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, के सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी?**

उत्तर. 7: सदस्य के पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन प्रारंभ होने की तिथि पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए: -

- i. 'ए' 01.01.2015 को 60 वर्ष की आयु में स्थापना 'X' से सेवानिवृत्त हुआ। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 01.01.2015 है, ईपीएस, 1995 हेतु उन्हें 58 वर्ष की आयु में यानी 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त माना जाएगा। तदनुसार, उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व **12 महीने** की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।
- ii. 'बी' 01.01.2012 को 50 वर्ष की आयु में स्थापना 'X' से सेवानिवृत्त हुआ। भले ही वह 2012 में सेवानिवृत्त हुए हों, लेकिन वे 58 वर्ष की आयु में यानी 01.09.2014 के बाद पेंशन लेने का विकल्प चुन सकते हैं। तदनुसार, उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व **60 महीने** की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

**प्रश्न 8: एक सदस्य भविष्य में सेवानिवृत्त होगा (उदाहरण के लिए वर्ष 2030 में)। उनकी पेंशन की गणना कैसे होगी?**

उत्तर. 8: पेंशन की गणना ईपीएस, 1995 के उन उपबंधों के आधार पर की जाएगी, जो पेंशन शुरू होने की तारीख पर मौजूद होंगे।

#### पेंशन के बकाया का भुगतान

**प्रश्न 9: क्या मेरे पेंशन से संबंधित बकाया का भुगतान मुझे किया जाएगा या उच्चतर वेतन पर अंशदान की मांग के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा?**

उत्तर. 9: पेंशनभोक्ताओं को पेंशन के बकाया का भुगतान मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जिससे टीडीएस से संबंधित आयकर उपबंधों का अनुपालन किया जा सके।

ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त अनुरोध के लिए प्रोफोर्म

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य के मामले में वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04 नवंबर, 2022 के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु)

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
क्षेत्रीय कार्यालय.....

मैं ..... ईपीएफ योजना, 1952 का एक मौजूदा सदस्य हूँ जिसका यूएन ..... है। मैंने पैरा 26(6) के उपबंधों के साथ-साथ योजना के पैरा 2 के अंतर्गत 'वेतन' की परिभाषा को पढ़ और समझ लिया है। मैं सांविधिक वेतन सीमा (वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह) से अधिक वास्तविक (उच्चतर) वेतन पर दिनांक.....से अपने ईपीएफ में अंशदान करना चाहता/चाहती हूँ और तदनुसार, मैं मेरे वास्तविक (उच्चतर) वेतन पर अंशदान करने का मेरा विकल्प प्रस्तुत करता/करती हूँ।

अथवा

मैं..... पैरा 26(6) और ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 2 के तहत उल्लिखित 'वेतन' और 'छूट प्राप्त कर्मचारी' की परिभाषाओं को पढ़ने और समझने के बाद, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं योजना के पैरा 2 (एफ) (ii) के अनुसार 'छूट प्राप्त कर्मचारी' हूँ और मैं योजना के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वेतन मेरी स्थापना..... जिसका पीएफ कोड ..... है, में जाँइन करने की तारीख से सांविधिक वेतन सीमा (वर्तमान में 15,000/- रुपये प्रति माह) से ऊपर है। अब, मैं.....से ई.पी.एफ. योजना, 1952 का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ और तदनुसार एतद्वारा इसके लिए अपने विकल्प का प्रयोग करता/करती हूँ। मैं वास्तविक (उच्चतर) वेतन पर कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं ....., कभनि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ई) के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता होने के नाते, और सदस्य/मौजूदा सदस्य, जो सांविधिक वेतन सीमा से अधिक वास्तविक वेतन पर अंशदान दे रहा है/मौजूदा सदस्य जिनका वास्तविक वेतन सांविधिक वेतन सीमा से अधिक है, के नामांकन के उद्देश्य से एक संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

स्थान:

के हस्ताक्षर

नाम एवं नियोक्ता का पदनाम

हस्ताक्षर

नियोक्ता

कर्मचारी का नाम एवं

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य के मामले में वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04 नवंबर, 2022 के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु)

### नियोक्ता द्वारा वचनपत्र

मैं ....., कभनि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ई) के उपबंधों के अनुसार, उपर्युक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता होने के नाते, उक्त कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके सांविधिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर किये गए अंशदान सहित उसके द्वारा किये गए क.भ.नि. अंशदान के लिए निर्धारित दरों पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं आगे ऐसे कर्मचारी के संबंध में..... से कभनि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 के तहत सभी सांविधिक उपबंधों और उसके तहत बनाई गई योजनाओं का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता के हस्ताक्षर  
नियोक्ता का नाम एवं पदनाम

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

उपर्युक्त संयुक्त अनुरोध को \_\_\_\_\_ से इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि स्थापना के रिकॉर्ड और कर्मचारी/सदस्य\* के खाते में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।

संबंधित कार्मिक

लेखा अधिकारी

स.भ.नि.आ.

सेवा में,

नियोक्ता (स्थापना) को सदस्य को सूचना देने हेतु